संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-88(2)/2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक 27 फरवरी, 2023**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्याः 640 दिनांक 12.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलसचिव द्वारा राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर को बी0एड0 पाठ्यकम में शैक्षिक सत्र 2021-22 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति/अनुमोदन निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर (ऊधमसिंहनगर)	बी0एड0	50 सीट	2021-22

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2- विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के 02 माह के भीतर अपूर्ण मानक (भवन, पुस्तकालय) को यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा तथा जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी कार्रवाई शासन/उच्च शिक्षा विभाग से अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र सं0-2131 दिनांक 07 सितम्बर, 2022 एवं पत्र सं0-4014 दिनांक 02 फरवरी, 2023 के क्रम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

3- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियमों/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 4263 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-88(2)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर (ऊधमसिंहनगर)।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।